



Neutral Citation Number- 2026:AHC:35622-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या-2935/2026

मनु और 2 अन्य

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रत्यर्थागण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता : संजीव कुमार यादव

प्रत्यर्थागण के अधिवक्ता : जी.ए., रिपुसूदन दुबे, सविता दुबे

न्याय कक्ष संख्या- 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए., श्री रिपुसूदन दुबे, प्रत्यर्था संख्या-3 के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. याचिकाकर्ताओं द्वारा यह रिट याचिका इस प्रार्थना के साथ दायर की गई है कि दिनांक 28.12.2025 की एफ.आई.आर. को रद्द कर दिया जाए, जिसके आधार पर थाना- चिलुआताल, जिला- गोरखपुर में बी.एन.एस. की धारा-109, 117(2), 115(2), 352, 351(3) के तहत वाद अपराध संख्या-834/2025 दर्ज किया गया है।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता पूर्णतः निर्दोष हैं और उन्हें किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई अपराध प्रकट

नहीं होता है, अतः, विवादित एफ.आई.आर. को रद्द किया जाना चाहिए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. सके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने उक्त प्रार्थना का ज़ोरदार विरोध किया है और यह निवेदन किया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए हमले के कारण, चार व्यक्तियों— अर्थात् प्रद्युम्न, राहुल, मुन्ना और सन्नी जायसवाल को चोटें आई हैं और उनकी चिकित्सकीय जाँच की गई है। इसके अतिरिक्त, विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों से, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है; अतः, विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता।

5. विद्वान ए.जी.ए. ने आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर भरोसा जताया, जो तेलंगाना राज्य बनाम हबीब उल्लाह जिल्लानी के मामले में (2017) 2 एस.सी.सी. 779 में रिपोर्ट किया गया है; निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य के मामले में (2021) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 315 में रिपोर्ट किया गया है; और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल के एक फैसले में, आपराधिक अपील संख्या-843/2024, डायरेक्टरेट एनफोर्समेंट बनाम नीरज त्यागी एवं अन्य के मामले में दिया गया है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी तर्कों, विद्वान ए.जी.ए. द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून पर विचार करने के बाद, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए हमले के कारण, चार व्यक्तियों/पीड़ितों - प्रद्युम्न, राहुल, मुन्ना और सन्नी जायसवाल को चोटें आई हैं और उनकी चिकित्सकीय जांच की गई है; अतः, चोटों और विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को देखते हुए, हमारी यह राय है कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध अपराध स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, और इस प्रकार, विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता।

7. अतः आपत्तिजनक प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द करने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. तथापि, यदि याचिकाकर्ता उचित न्यायालय के समक्ष अग्रिम ज़मानत/नियमित ज़मानत के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो उनके ज़मानत आवेदनों पर विचार किया जाएगा और विधि के अनुसार, यथाशीघ्र उनका निपटारा किया जाएगा।
9. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, यह रिट याचिका **निस्तारित** की जाती है।

17 फरवरी, 2026

केएस

(माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”